

Film actress Madhavi Latha lodges complaint against TDP leader JC Prabhakar Reddy

<https://www.deccanchronicle.com/southern-states/telegana/film-actress-madhavi-latha-lodges-complaint-against-tdp-leader-jc-prabhakar-reddy-1855648>

M Srinivas21 January 2025 5:44 PM

Hyderabad: Film actress and politician Madhavi Latha on Tuesday lodged a complaint with the Cyberabad police against TDP leader JC Prabhakar Reddy for making derogatory remarks against her during a debate in a television channel recently.

In her complaint, she sought intervention of the Cyberabad police to investigate the matter allegedly involving Prabhakar Reddy and his associates for public defamation, harassment, body shaming, and threatening behavior.

“The Cyberabad police must secure my safety by addressing threats and harassment perpetrated by his followers. Register my complaint and lodge a FIR into the inaction by the local police due to alleged collusion,” she said.

She further stated that a complaint was registered at the National Commission for Women and **National Human Rights Commission** of India in New Delhi and also at the Movie Artist Association at Film Nagar in Hyderabad.

“I am ready to provide any additional information needed for the investigation and look forward to your prompt action to protect my rights and ensure justice,” Madhavi Latha said, adding that she also enclosed evidence with the complaint.

“On December 31, 2024, I posted a video on YouTube advising women in Tadipatri to be cautious during New Year's celebrations due to safety concerns. This was intended as a social service message to promote women's safety,” she explained.

“On January 1, 2025, Prabhakar Reddy publicly defamed me on national television. He made vulgar and defamatory remarks, calling me with derogatory names causing immense emotional distress and mental trauma. His statements defamed my character and humiliated me publicly, violating my dignity and self-respect,” she said.

High Court issues notice to Punjab and Haryana governments on petition challenging anti-begging laws

<https://www.thehindu.com/news/national/high-court-issues-notice-to-punjab-and-haryana-governments-on-petition-challenging-anti-begging-laws/article69123848.ece>

The PIL challenges the constitutionality of certain sections of 50-year-old State laws that prohibit begging by criminalising it

Updated - January 21, 2025 11:05 pm IST - New Delhi

The Punjab and Haryana High Court has issued notices to the State governments of Haryana and Punjab on a Public Interest Litigation (PIL) petition that has challenged the constitutionality of certain sections of 50-year-old State laws that prohibit begging by criminalising it.

In a hearing on Monday (January 20, 2025), a Bench of Chief Justice Sheel Nagu and Justice Sudhir Singh issued notice to the State governments for their respective responses, listing the case for further hearing on March 22.

The PIL argues that the State has a social contract to ensure its citizens are able to live a dignified life and that the State “cannot be allowed” to treat begging as an offence. The petition further takes issue with the way the act of begging has been defined in these laws, arguing that they violated Articles 14, 19, and 21 of the Constitution of India.

The definition of begging in the 1971 laws of Haryana and Punjab that have been challenged emanates from the definition set down in the Bombay Prevention of Begging Act of 1959 — a definition that is used to this day by the Union government, to identify people engaged in begging, for welfare and rehabilitation schemes.

The definition classifies any act of soliciting or receiving alms in public places as begging, including by singing, dancing, fortune-telling, performing tricks, or selling articles. The only difference between these vocations and others is that these vocations have “no price tag” as that’s been left to the audience to pay.

In subsequent Sections, the law also identifies any soliciting of alms in private premises as begging, especially if done so by “exposing or exhibiting” any sore, wound, deformity, injury, etc. On this, the petition argues that a person having an exposed wound or injury or deformity without realising it could also be roped, further stressing that the laws were “excessively arbitrary”.

It also defines a person with “no ostensible means of subsistence and wandering about or remaining in public place” as a beggar if it is “likely” that they are doing so by

soliciting alms. The PIL, on this point, emphasised, “Poverty alone can’t lead to criminalization.”

The petition has been filed by Kush Kalra, and is being argued by advocate Jyotika Kalra, a former Member of the **National Human Rights Commission**. While the High Court waits for the responses of the Punjab and Haryana governments, respectively, a Right to Information (RTI) response to queries raised by the petitioner showed that at least the Haryana Government is in the process of amending/repealing its law criminalising begging, without any further details.

The PIL has relied on the judgments of the Delhi High Court and the Jammu and Kashmir High Court to argue that begging cannot be criminalised.

The Delhi High Court had in a landmark judgment of 2018, struck down all Sections of the Bombay Prevention of Begging Act, 1959, as had been extended to Delhi, that criminalised the act of begging, saying they “cannot sustain constitutional scrutiny”.

“If the State wishes to criminalize specific types of forced beggary, it has to first think out a clear factual basis and impact thereof to pass a well thought legislation after due application of mind and being mindful of the constitutional rights provided under the Constitution of India,” the Delhi High Court had held in the judgment.

Madhavi Latha ने टीडीपी नेता जेसी प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

<https://jantaserishta.com/local/telegana/madhavi-latha-filed-a-complaint-against-tdp-leader-jc-prabhakar-reddy-3784849>

Jan 2025 5:51 PM

Hyderabad हैदराबाद: फिल्म अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ माधवी लता ने मंगलवार को टीडीपी नेता जेसी प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ साइबराबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने हाल ही में एक टेलीविजन चैनल पर बहस के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। अपनी शिकायत में उन्होंने प्रभाकर रेड्डी और उनके सहयोगियों पर सार्वजनिक मानहानि, उत्पीड़न, बॉडी शेमिंग और धमकी भरे व्यवहार के आरोप में कथित रूप से शामिल होने के मामले की जांच के लिए साइबराबाद पुलिस से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा, "साइबराबाद पुलिस को उनके अनुयायियों द्वारा की जा रही धमकियों और उत्पीड़न को संबोधित करके मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरी शिकायत दर्ज करें और कथित मिलीभगत के कारण स्थानीय पुलिस द्वारा निष्क्रियता के लिए प्राथमिकी दर्ज करें।"

उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग और भारत के **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** और हैदराबाद के फिल्म नगर में मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में भी शिकायत दर्ज की गई है। माधवी लता ने कहा, "मैं जांच के लिए आवश्यक कोई भी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार हूं और मेरे अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आपकी त्वरित कार्रवाई की उम्मीद करती हूं।" उन्होंने कहा कि उन्होंने शिकायत के साथ सबूत भी संलग्न किए हैं। उन्होंने बताया, "31 दिसंबर, 2024 को मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें ताड़ीपटरी की महिलाओं को सुरक्षा चिंताओं के कारण नए साल के जश्न के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई थी। यह महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सेवा संदेश के रूप में था।" "1 जनवरी, 2025 को, प्रभाकर रेड्डी ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर सार्वजनिक रूप से मुझे बदनाम किया। उन्होंने अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियाँ कीं, मुझे अपमानजनक नामों से पुकारा, जिससे मुझे बहुत भावनात्मक परेशानी और मानसिक आघात पहुँचा। उनके बयानों ने मेरे चरित्र को बदनाम किया और मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, जिससे मेरी गरिमा और आत्म-सम्मान का हनन हुआ।"

sc से रिटायर जस्टिस अरुण मिश्रा को मिला ये पद तो क्यों होने लगा हंगामा?

<https://www.msn.com/hi-in/news/other/sc-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B0-%E0%A4%9F-%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%B8-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%A3-%E0%A4%AE-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%95-%E0%A4%AE-%E0%A4%B2-%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%A6-%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%82-%E0%A4%B9-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%97-%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%AE/ar-AA1xz707>

रूपक प्रियदर्शी के द्वारा स्टोरी

- 20घंटे • 3 मिनट पढ़ा गया

Justice Arun Mishra: सुप्रीम कोर्ट के जज रहते समय जस्टिस अरुण मिश्रा दिल्ली में 13 अकबर रोड वाले बंगले में रहते थे. 2014 से 2020 तक 6 साल जज रहने के बाद 3 सितंबर 2020 को रिटायर हो गए. एक महीने में बंगला खाली हो जाना चाहिए था. जस्टिस अरुण मिश्रा के पास बंगला रिटायर होने के 9 महीने बाद रहा. सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद जून 2021 में सरकार ने उनका बड़ा पद दे दिया. 6 महीने से खाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया तो आरोप लगे कि मोदी सरकार ने जस्टिस अरुण मिश्रा को बड़ा पद देने का मन बनाया हुआ था इसीलिए सरकारी बंगला खाली नहीं कराया.

खूब विवाद हुआ जब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद मिली NHRC में पोस्टिंग. करीब 4 साल तक पद पर रहने के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा NHRC से फिर रिटायर हुए. कुछ महीने इंतजार के बाद फिर नई पोस्टिंग मिल गई. इस बार मिला पद सरकारी तो नहीं लेकिन विवाद जमकर हो रहा है.

BCCI में मिला बड़ा पद

जस्टिस अरुण मिश्रा को क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी BCCI में लोकपाल यानी Ombudsman और Ethics Officer बनाया गया है. BCCI गैर-सरकारी संगठन है. उसमें होने वाली नियुक्तियों में सरकार का सीधा हाथ नहीं होता लेकिन बीसीसीआई में पोस्टिंग को भी सरकारी फेवर कहा जा रहा है.

सरकार के खिलाफ बोलने वाले कई बड़े लोगों ने सवाल उठाए हैं. तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का लोकपाल बनाने पर सवाल खड़े किए हैं. महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को शर्मसार करने वाले BCCI Ombudsman & Ethics officer बनाए गए हैं.

पद मिलने पर लगे आरोप

प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि court vacations में भी जस्टिस अरुण मिश्रा ने अदाणी को फेवर करने वाले जजमेंट दिए. मोदी को विजनरी कहकर पब्लिकली तारीफ की. NHRC Chief के बाद Ethics Ombudsman of BCCI बनाया है. सरकार ने जस्टिस अरुण मिश्रा को रिवाॅर्ड दिया है.

प्रशांत भूषण देश के उन वकीलों में हैं जो खुलकर जस्टिस अरुण मिश्रा के खिलाफ बोलते रहे. एक किस्सा भी प्रशांत भूषण और जस्टिस अरुण मिश्रा से जुड़ा है. 2020 में अदालत की अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण पर एक रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगा था. 82 पेज के अदालती आदेश में जुर्माने का आदेश देने वाली बेंच में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस कृष्ण मुरारी के साथ एक जज जस्टिस अरुण मिश्रा थे. प्रशांत भूषण ने महंगी बाइक पर बैठे तत्कालीन चीफ जस्टिस बोबडे की फोटो और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर अलग-अलग दो ट्वीट किए थे.

हो रहा जमकर बवाल

सुप्रीम कोर्ट में जज रहने के बाद सरकारी पद लेना चाहिए या नहीं, इस पर देश में लंबी बहस चल रही है. मोदी सरकार पर आरोप लगते हैं कि कई जजों को बढ़िया-बढ़िया पोस्टिंग देकर रिटायरमेंट गिफ्ट दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद बन गए. अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने. जस्टिस अरुण मिश्रा NHRC में सेट हुए. चीफ जस्टिस रहने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर भी बहुत चर्चा चल रही है कि उन्हें क्या बनाया जाएगा. जस्टिस अरुण मिश्रा NHRC से रिटायर हुए तो चर्चा तेज उड़ी कि सरकार चंद्रचूड़ के नाम पर विचार कर रही है. हालांकि चंद्रचूड़ ने खुद खंडन कर दिया.

पथानामथिट्टा में लड़की के 'यौन शोषण' पर NHRC ने केरल सरकार को नोटिस जारी किया

<https://jantaserishta.com/local/kerala/nhrc-issues-notice-to-kerala-government-over-sexual-abuse-of-girl-in-pathanamthitta-3783894>

21 Jan 2025 12:38 PM

Kerala केरल: एनएचआरसी ने सोमवार को कहा कि उसने [पथानामथिट्टा](#) जिले में अनुसूचित जाति की एक लड़की के साथ यौन शोषण के आरोप लगाने वाली रिपोर्टों पर केरल सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक बयान में कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट की सामग्री सही है, तो यह लड़की के मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है।

15 जनवरी को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लड़की - जो अब 18 वर्ष की है - ने अपनी [शिकायत](#) में आरोप लगाया है कि कई व्यक्तियों द्वारा उसका यौन शोषण किया गया था। एनएचआरसी ने बयान में कहा कि यह मामला बाल कल्याण समिति द्वारा आयोजित काउंसलिंग के दौरान सामने आया, जब एक शैक्षणिक संस्थान में उसके शिक्षकों ने पैनल को उसके व्यवहार में उल्लेखनीय बदलावों के बारे में सूचित किया।